



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

10 तेंदुए के अवैध शिकार एवं तस्करी मामले में मुख्य फरार आरोपी की याचिका माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर से हुई निरस्त

प्रेस विज्ञप्ति (63/26, दिनांक 09.09.2026)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अंतर्राज्यीय शिकार एवं तस्करी गिरोह के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) मध्यप्रदेश द्वारा निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

विगत माह में प्रकाश में आये 10 तेन्दुए के शिकार के प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में एक संगठित गिरोह के लिप्त होने के साक्ष्य मिले हैं। आज दिनांक तक कुल **15 आरोपी जो कि तीन अलग-अलग राज्यों हरियाणा, मध्यप्रदेश एवं दिल्ली के निवासी हैं** उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके पास से वन्यजीव तेन्दुए के अवयव भी भारी मात्रा में जप्त हुए हैं तथा बाघ/तेन्दुए के शिकार हेतु उपयोग किये जाने वाले घातक फंदे 06 नग Leg Hold Trap एवं 01 नग चाकू भी जप्त किये गये हैं। इस प्रकरण में दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन के सह संस्थापक कार्तिक सत्यनारायण की भूमिका प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध पाई गई है। उनको विवेचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर विवेचना में सहयोग करने हेतु कई बार समन्स भेजा जा चुका है, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए। इस कारण माननीय विशेष न्यायालय, शिवपुरी द्वारा गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। MP STSF द्वारा उनकी सरगर्मी से तालाशी की जा रही है। फरार आरोपी कार्तिक सत्यनारायण द्वारा गिरफ्तारी से बचाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में एक याचिका दायर की थी। जिस पर विस्तृत सुनवाई करते हुए, MP STSF द्वारा एकत्रित किये गये साक्ष्यों एवं विशेष शासकीय अधिवक्ता द्वारा रखे गये ठोस पक्ष के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने **आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया** तथा उन्हें विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु आदेशित किया।

यह प्रकरण मध्यप्रदेश शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लिप्त गिरोह द्वारा 10 तेन्दुओं का शिकार जिला श्योपुर व मुरैना में किया गया है जो **अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र “चीता लैण्डस्कैप”** के अंतर्गत आता है। प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल